तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2021	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली बाद जांच प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री छैलसिंह राठौड़ एवं रेस्पोडेंट की तरफ से श्री सुखदेव पटेल उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी में रेस्पोडेंटस का 1/4 हिस्सा है। रेस्पोडेंटस को अपीलांटगण के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण को अपने मकान के निर्माण करने से वंचित कर रहा है। अपीलाधीन आदेश से अपीलकर्ता के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे तथा अपीलांट न्याय से महरूम रह जायेगें तथा व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में अभिवृद्धि होगी, जिससे प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होगी। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया है कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के 1/4 हिस्से के खातेदार है। अपीलांटगण भी अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस द्वारा अपने हक–हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि पर रहवास हेतु अपने–अपने मकान का निर्माण कर दिया गया है लेकिन अपीलाधीन आदेश के प्रभाव में रहते अपीलांटगण को उनके हक हिस्से की भूमि में रहवास हेतु मकान निर्माण करने से वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। मामल प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट रेस्पोडेंट की खसरा संख्या 751/3 में रकबा 0.1961 हैक्टयर भूमि को छोड़कर अपना आवास बनाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर